भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1160
09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष का संवर्धन और विकास

1160. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री जी. सेल्वम:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आयुष का प्रभावी ढंग से विकास और संवर्धन करने में सफल रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार को देश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और विकास के लिए आवंटित धनराशि का पृथक ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में उपयोग की गई/अप्रयुक्त धनराशि का वर्ष-वार, विषय-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस प्रयोजनार्थ धनराशि की अपर्याप्तता के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनका समाधान किस प्रकार किया गया है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के प्रचार-प्रसार के अधिदेश को पूरा करने की दृष्टि से, आयुष मंत्रालय आयुष में सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों का आयोजन करता है, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन करता है, स्वास्थ्य मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास एवं संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित

कर रहा है तथा उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

आयुष मंत्रालय चिकित्सा महत्व यात्रा की चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना के नाम से एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने 7 मंत्रालयों/विभागों के साथ उनके द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष सेवाओं को एकीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, आयुष पद्धतियों में सहयोगी अनुसंधान करने के लिए 04 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता वर्धन के लिए 02 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख): आयुष को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में मंत्रालय को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय की आईईसी योजना**,** चैंपियन क्षेत्र योजना और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष (सभी पद्धतियों सहित) के विकास और संवर्धन के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आबंटित बजट**,** किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ): आईईसी से संबंधित गतिविधियों के लिए निधियों की अपर्याप्तता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

******

संलग्नक-I

आईईसी योजना के बजट का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	44.50	22.70	20.94
2021-22	46.20	34.84	30.04
2022-23	43.88	55.40	51.60
2023-24 (अनंतिम)	41.00	39.85	30.47

चैंपियन क्षेत्र योजना के बजट का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	21.20	15.00	12.53
2021-22	150.00	29.63	19.13
2022-23	60.22	10.06	5.67
2023-24 (अनंतिम)	21.68	7.40	6.64

राष्ट्रीय आयुष मिशन के बजट का विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2020-21	705.00	400.00	397.72
2021-22	553.80	500.00	458.87
2022-23	800.00	650.00	549.15
2023-24 (अनंतिम)	1200.00	850.00	597.40